झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
अपराधिक विविध याचिका संख्या 1518/2021

चितरंजन कुमार, उम्र लगभग 50 वर्ष, पुत्र- श्री बीरेंद्र कुमार, निवासी- पीएंडटी कॉलोनी, क्वार्टर नंबर जे5/2, डाकघर - लालपुर, जिला- रांची (झारखंड)

... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

....विपक्षी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अविषेक प्रसाद, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री पंकज कुमार मिश्रा, अपर पी.पी.

प्रस्तुत
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए डेली मार्केट थाना मामला संख्या 34/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420, 467, 468, 471, 34 के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाहियां जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित हैं।

3. डेली मार्केट थाना की एफ.आई.आर. 2020 का मामला संख्या 34 दिनांक 10.12.2020 को पंजीकृत किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता जनवरी 2016 से जून 2018 तक ओसीसी पोस्ट ऑफिस में सब-पोस्ट मास्टर के रूप में तैनात था, वह

श्रीमती सुमन अग्रवाल, एमपीकेबीवाई, उनके प्रतिनिधि श्री शुभम गुप्ता के साथ सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए 74 (चौहत्तर) विभिन्न आरडी खातों में 25,53,400/- रुपये की राशि का ऋण स्वीकृत करके आपराधिक विश्वासघात करने में शामिल था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान संक्षिप्त विवरण के पृष्ठ 30-51 पर संलग्नक-3 की ओर आकर्षित किया है, जो कि कोतवाली पी.एस. केस संख्या 99/2020 की एफ.आई.आर. है और प्रस्तुत किया है कि उक्त एफ.आई.आर. कोतवाली पी.एस. केस संख्या 99/2020 इस एफ.आई.आर. के पंजीकरण से बहुत पहले ही उसी आरोप के लिए तथ्यों और आरोपों के एक ही सेट के संबंध में पंजीकृत की गई थी। इसलिए, डेली मार्केट पी.एस. केस संख्या 34/2020 की एफ.आई.आर. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत आती है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। (2001) 6 एससीसी 181 में रिपोर्ट की गई,

जिसके पैराग्राफ संख्या 25 और 27 इस प्रकार हैं:-

> “25. जहां पुलिस जांच की अपनी वैधानिक शक्ति का अतिक्रमण करती है, वहां उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत और यह न्यायालय उचित मामले में अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए जांच पर रोक लगा सकता है।
>
> 27. संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और एक संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच एक उचित संतुलन अदालत द्वारा बनाया जाना चाहिए। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि धारा 173 सीआरपीसी की उपधारा (8) पुलिस को आगे की जांच करने, आगे के साक्ष्य (मौखिक और दस्तावेजी दोनों) प्राप्त करने और मजिस्ट्रेट को एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट अग्रेषित करने का अधिकार देती है। नारंग मामले में [(1979) 2 एससीसी 322: 1979 एससीसी (क्रि) 479] हालांकि, यह देखा गया कि अदालत की अनुमति से आगे की जांच करना उचित होगा। हालांकि, जांच की व्यापक शक्ति हर बार एक ही घटना के संबंध में पुलिस द्वारा एक नागरिक की नई जांच के अधीन होने की गारंटी नहीं देती है, जो धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले या बाद में लगातार एफआईआर दर्ज करने के परिणामस्वरूप एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती है। यह स्पष्ट

रूप से धारा 154 और 156 सीआरपीसी के दायरे से बाहर होगा, बल्कि किसी दिए गए मामले में जांच की वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग का मामला होगा। हमारे विचार में दूसरी या लगातार एफआईआर के आधार पर नई जांच का मामला, जो काउंटर-केस नहीं है, उसी या उससे जुड़े संज्ञेय अपराध के संबंध में दायर किया गया है, जो कथित तौर पर उसी लेनदेन के दौरान किया गया है और जिसके संबंध में पहली एफआईआर के अनुसार या तो जांच चल रही है या धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, धारा 482 सीआरपीसी या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है। (जोर दिया गया)

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस न्यायालय ने 03 जनवरी, 2024 के आदेश के तहत आपराधिक विविध याचिका संख्या 2338/2023 में सह-अभियुक्त प्रमोद कुमार की उसी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि डेली मार्केट पुलिस स्टेशन कांड संख्या 34/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाही जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए।

6. विद्वान अपर। राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक ने डेली मार्केट पुलिस स्टेशन कांड संख्या 34/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट और उक्त मामले से संबंधित अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करने और अपास्त करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है और प्रस्तुत किया कि चूंकि मामले की जांच चल रही है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट आरोप मामले की जांच समाप्त होने के बाद ही पता चल सकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रारंभिक चरण में, डेली मार्केट पुलिस स्टेशन कांड संख्या 34/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट और उक्त मामले से संबंधित अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करने और अपास्त करने की प्रार्थना, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है, को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यह सीआरएमपी, बिना किसी योग्यता के, खारिज की जानी चाहिए।

7. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, दोनों एफआईआर यानी कोतवाली पुलिस स्टेशन कांड संख्या 99/2020 की एफआईआर और डेली मार्केट पुलिस स्टेशन कांड संख्या 34/2020 की एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि कोतवाली पुलिस स्टेशन कांड संख्या 99/2020 में सुमन अग्रवाल वह सूचनाकर्ता हैं, जिन्हें डेली मार्केट पुलिस स्टेशन कांड संख्या 34/2020 में

आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया है। कोतवाली पुलिस स्टेशन कांड संख्या 99/2020 की एफआईआर में सुमन अग्रवाल ने आरडी खाताधारकों से 29,62,400/- रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगाते हुए एक ही आरोप लगाया है, लेकिन डेली मार्केट पी.एस. की एफआईआर में केस संख्या 34/2020 में याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर 25,53,400/- रुपये की कम राशि स्वीकृत की गई है। कोतवाली पुलिस स्टेशन केस संख्या 99/2020 में याचिकाकर्ता को औपचारिक एफआईआर में आरोपी के रूप में नहीं बताया गया है, लेकिन जांच के दौरान अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसे उस मामले में भी आरोपी बनाया जा सकता है। कोतवाली पुलिस स्टेशन केस संख्या 99/2020 में 29,62,400/- रुपये की उपरोक्त राशि के अलावा 22,11,320/- रुपये की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया गया है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तारक दाश मुखर्जी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में माना है। 2022 एससीसी ऑन लाइन एससी 2121 के पैराग्राफ संख्या 9, 11 और 12 में रिपोर्ट की गई, जो इस प्रकार है:-

> “9. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है जिन्होंने प्रस्तुत किया कि पहली और दूसरी दोनों एफआईआर एक ही तथ्यों और कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित हैं। उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश, (2004) 13 एससीसी 292 और टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य, (2001) 6 एससीसी 181 के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दूसरी एफआईआर का पंजीकरण कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।
>
> 11. हमने दोनों एफआईआर का अवलोकन किया है। प्रतिवादी संख्या 4 दोनों एफआईआर में पहला सूचनादाता है और ये 14 जून 2006 को निष्पादित बिक्री के एक ही समझौते पर आधारित हैं। दोनों एफआईआर में लगाए गए आरोप एक जैसे हैं। आरोप यह है कि जालसाजी और धोखाधड़ी करके, अपीलकर्ता संख्या 1 ने दूसरी एफआईआर, जो चुनौती का विषय है, पहली एफआईआर दर्ज होने के लगभग चार साल बाद दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर को चुनौती उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में इन पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।
>
> 12. यदि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही तथ्य और आरोपों के आधार पर कई प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी जाती है, तो

इसका परिणाम यह होगा कि आरोपी एक ही कथित अपराध के लिए कई आपराधिक कार्यवाहियों में उलझ जाएगा। इसलिए, ऐसी कई एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा, एक ही सूचना देने वाले के कहने पर एक ही तथ्य और आरोपों के आधार पर लगातार एफआईआर दर्ज करने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 की जांच के दायरे में नहीं आएगा। इस संबंध में स्थापित कानूनी स्थिति को उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। (जोर दिया गया)

यदि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही तथ्य और आरोपों के आधार पर कई प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी जाती है, तो इसका परिणाम यह होगा कि आरोपी एक ही कथित अपराध के लिए कई आपराधिक कार्यवाहियों में उलझ जाएगा। इसलिए, ऐसी कई एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है।

8. अब, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यह न्यायालय इस विचार पर पहुंचा है कि डेली मार्केट थाना कांड संख्या 34/2020 की एफआईआर उसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर है, जिसके लिए कोतवाली पुलिस स्टेशन केस संख्या 99/2020 उक्त डेली मार्केट पुलिस स्टेशन केस संख्या 34/2020 के पंजीकरण से बहुत पहले पंजीकृत किया गया है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश एवं अन्य के मामले में (2004) 13 एससीसी 292 के पैराग्राफ संख्या 17 में रिपोर्ट की है जो इस प्रकार है:-

> “17. उपर्युक्त उद्धरण में ऊपर जोर दिए गए शब्दों से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने **टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य [(2001) 6 एससीसी 181: 2001 एससीसी (सीआरआइ) 1048]** के मामले में कोड के दायरे से काउंटर-केस की प्रकृति में शिकायत के पंजीकरण को बाहर नहीं रखा है। हमारी राय में, इस न्यायालय ने उस मामले में केवल यह माना कि एक ही शिकायतकर्ता या अन्य द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ़ कोई भी आगे की शिकायत, एक मामले के पंजीकरण के बाद, कोड के तहत निषिद्ध है क्योंकि इस संबंध में एक जांच पहले ही शुरू हो चुकी होगी और उसी आरोपी के खिलाफ़ आगे की शिकायत मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों में सुधार के बराबर होगी, इसलिए कोड की धारा 162 के तहत निषिद्ध होगी। इस न्यायालय द्वारा देखा गया यह निषेध, हमारी राय में, पहली शिकायत में आरोपी द्वारा या

उसकी ओर से उक्त घटना के एक अलग संस्करण का आरोप लगाने वाली काउंटर-शिकायत पर लागू नहीं होता है।" (जोर दिया गया)

कानून के स्थापित सिद्धांत को दोहराया है कि उसी घटना के लिए दूसरी एफ.आई.आर. का पंजीकरण निषिद्ध है। इस प्रकार यह न्यायालय मामले के तथ्यों और ऊपर की गई चर्चाओं पर विचार करते हुए इस विचारित दृष्टिकोण पर है कि डेली मार्केट पुलिस स्टेशन कांड संख्या 34/2020 की एफ.आई.आर. और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाही, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है, को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के हित में डेली मार्केट पुलिस स्टेशन कांड संख्या 34/2020 की उक्त एफ.आई.आर. और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाही, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है, जो उसी घटना के संबंध में दूसरा मामला है, को रद्द और अलग रखा जाना चाहिए।

9. तदनुसार, डेली मार्केट थाना कांड संख्या 34/2020 की एफ.आई.आर. तथा उक्त मामले से संबंधित अन्य सभी कार्यवाही, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रांची की अदालत में लंबित है, को याचिकाकर्ता के खिलाफ निरस्त किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोतवाली थाना कांड संख्या 99/2020 के मामले की जांच के दौरान याचिकाकर्ता को उस मामले का आरोपी बनाने के लिए कोई सामग्री सामने आती है, तो यह निर्णय उसी प्रक्रिया में बाधक नहीं होगा।

11. परिणामस्वरूप, यह सी.आर.एम.पी. स्वीकृत मानी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 17 जनवरी, 2024
ए.एफ.आर./अनिमेष

<u>यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>